(12)

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या -18/2/81-का-2/2000 तद्दिनांक
लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2000

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 2 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गये वर्तमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अधिकतम आयु सीमा	2- राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष होगी । परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान रही हो ।	अधिकतम आयु सीमा	2- राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी ।

आज्ञा से,

(प्रदीप शुक्ला) 21/1/00
सचिव ।

संख्या 18/2/81-सा-2/2000 तद्दिनांक

उपर्युक्त नियमावली की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं राजनैतिक पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) सरदार पटेल भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
6. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
9. निबन्धक, उ0प्र0 सहकारी समितियां उ0प्र0।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के आगामी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 8000 प्रतियां कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
संयुक्त सचिव।